न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 126/2017/अपील

रतन लाल उम्र 60 वर्ष पुत्र रामेश्वर लाल जाति ब्राहमण निवासी सील की बाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर, राज0

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, तहसील खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.10.2015 मु.न. 240/2015 अनुवानी सरकार बनाम रतनलाल द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री रामेश्वर लाल बिजारनियां

निर्णय **दिनांकः—05.06.2018**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने प्रार्थी/अपीलान्ट को भूमि खसरा नं. 64 तन ग्राम छाजना में से 0.0017 वर्गमीटर दुकान से बेदखल करने का आदेश पारित करते हुए भू.अ.नि. को जप्तशुदा फसल निलाम करने का निर्णय पारित किया है, जबकि मौके पर अपीलान्ट उक्त जगह पर पिछले 40 वर्ष से पान पता व नमकीन वगै0 की दुकान चलाकर अपना व अपने परिवार का गुजारा भत्ता कर रहा है तथा इस दुकान के अलावा, अपीलान्ट के पास जीविका पार्जन का अन्य कोई साधन नहीं है, इसलिए वहां फसल होने का तो सवाल ही नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट को जो नोटिस भेजा, उस पर प्रकाश शर्मा के हस्ताक्षर है, जिसे तामील कुनिन्दा ने अपीलान्ट का पुत्र नही है, बल्कि प्रकाश शर्मा अपीलान्ट के भाई सांवरमल का लड़का है तथा सांवरमल व अपीलान्ट के आपस में पिछले 10 वर्ष से बोलचाल बन्द है। सांवरमल की दुकान अपीलान्ट की दुकान से सटती हुई है तथा प्रार्थी से द्वेषता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी या अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान नही लिये, जबकि हल्का पटवारी को न्यायालय में परिरक्षित किया जाना आवश्यक था तथा केवल मात्र पूर्व से तैयार परफोर्मा पर साइकिलों स्टाईल निर्णय पारित किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय की पालना में दिनांक 18.12.2015 को पटवारी हल्का बासड़ी ने रूडमल पुत्र गोदाराम जाट व हीरालाल पुत्र कानाराम शर्मा की उपस्थिति में अपीलान्ट को बेदखल करने की कार्यवाही अंकित करते हुए बेदखल करने की फर्द तैयार की है, जबकि अपीलान्ट को कभी भी बेदखल नहीं किया तथा उक्त कार्यवाही तहसील कार्यालय में बन्द कमरे में बैठकर तैयार की गयी है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय की पालना में अपीलान्ट को बेदखल किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि अपीलान्ट की रोटी रोजी को केवल मात्र जरिया उक्त दुकान है। अपीलाधीन

Web Copy - Not Official

द्वारा मु.न. 240/15 व उनवानी सरकार बनाम रतनलाल में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2015 को निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम चक छाजना के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.01 है0 किस्म बंजड़ में से 0.0017 है0 पर दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः दुकान निर्माण कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 29.10.2015 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official